

फॉर्म अहकाम

(दिवस 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

जालु

वनान श्रीमती गंगा (कार्य)

किसल नुकदना

प्राठपत्र 11/128

न० 218

सन 2022

क	हुवन का जायदाही नग इनिशयल्लत जज	मन्दर व तारीख अहकाम जा इस हुवन की जागील में जारी हुए
22	<p>बाद / प्रार्थनापत्र बाद जोच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मत नोटिस जारी किये जाते । पत्रावली दिनांक 22-11-22 को पेश ही।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>11/22 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शामिलफावली किये गये। विपक्षीगण को कितनीवार कक-कक कर आवाजे फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विकर एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्राठपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठक से छिरवा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

जून अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 218/22 प्रा0पत्र

श्री लालु दत्तकपुरा श्री कृपा तेली जिवासी-स्टेशननगर माण्डल तहसील

-प्रार्थी

बनाम

श्री गंगा पं0 श्री रामचन्द्र तेली जिवासी-स्टेशननगर माण्डल तहसील, माण्डल (राज0)
(प्रतिपक्ष प्र0पत्र धारक)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 22.11.22


::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम बुड़ा पटवार हल्का संतकपुरा तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 507 कुल किता 01 रकबा 0.0379
है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.10.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बुड़ा पटवार
बुड़ा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 507
01 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मांके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
गढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा